

बिहार सरकार
योजना एवं विकास विभाग
(अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय)

आवश्यक सूचना

प्रथम स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2010 (विज्ञापन संख्या-110/2010)के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पत्रांक बि०का०च०आ० प्र०-6/परीक्षा-03(खण्ड) 9675/आ० दिनांक 09.10.2013 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में कनीय सांख्यिकी सहायक/प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक/अन्वेषक के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों (Candidates) के शैक्षणिक एवं संगत प्रमाण पत्रों के सत्यापन (Certificate Verification) दिनांक 18.11.13 से 20.11.13 को सूचना भवन स्थित योजना पर्षद का सभा कक्ष में सत्यापन हेतु बुलाया गया था उक्त निर्धारित तिथियों को कई अभ्यर्थी सत्यापन कार्य में सम्मिलित नहीं हो सके। इसके अतिरिक्त आयोग द्वारा सत्यापन कार्य के लिए उक्त निर्धारित अवधि के पश्चात कतिपय अभ्यर्थियों के कागजात उपलब्ध कराये गये।

उक्त स्थिति में निदेशालय द्वारा दिनांक 15 एवं 16 जनवरी 2014 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में सूचना भवन स्थित योजना पर्षद का सभा कक्ष,(5 वा तल्ल) बेली रोड़, पटना में निम्न अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों एवं संबंधित कागजातों के सत्यापन कार्य करने का निर्णय लिया गया है।

क्र०	जाँच की तिथि एवं समय	रौल नं०			
1.	दिनांक:-15.01.2014 10.30-5.00 बजे	13130166	12430314	10530025	14330255
		12030409	13130069	14030006	12330277
		13830076	10630667	11230670	12230250
		12930235	12830360	13630468	11430254
		12830423	13730226	10630339	10330808
		14130113	13330337	13730124	13830314
		13430272	11230349	11230097	11930262
		कुल			
2.	दिनांक :-16.01.2014 10.30-5.00 बजे	11330384	12130166	11730054	11230526
		11130252	14030065	10930032	10730609
		11430501	12330405	10430550	11630030
		11630198	13730114	12430182	11730287
		14530009	12530153	14330211	10630628
		10230454	10630499	14430164	13330002
		12330405			
		कुल			

प्रमाण-पत्र सत्यापन के लिए अभ्यर्थी निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी छायाप्रतियों की दो-दो स्वअभिप्रमाणित (Self Attested)प्रति अपने साथ अनिवार्य रूप से लाएँ:-

1. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण-पत्र।

2. इण्टरमीडियट, स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक पत्र ।
3. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो ।
4. अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हो तो नियोक्ता(Employer)से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate) ।
5. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र(आरक्षित कोटि के अनु० जाति/ अनु०जन जाति अभ्यर्थियों के लिए)
6. बिहार सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछडा/अत्यन्त पिछडा वर्ग हेतु)
7. बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश-पत्र (Admit Card)
8. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र ।
9. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत सत्यापन प्रपत्र(दो प्रतियों में) अभ्यर्थी अपने साथ लायें ।
उक्त विहित प्रपत्र अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना के वेबसाइट www.dse.bih.nic.in पर उपलब्ध है ।
10. पासपोर्ट साईज का 4(चार) फोटो ।
11. प्रमाण पत्रों की जाँच हेतु सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

R. S. Das
20/12/2013
(रिनु लता)
निदेशक

ज्ञापांक: 2408

पटना, दिनांक: 20/12/13

- प्रतिलिपि:—1. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. श्री सुदामा कुमार, आई.टी. प्रबंधक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को निदेशालय के वेबसाइट पर डालने के लिए सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

R. S. Das
20/12/2013
निदेशक

R. S. Das
20/12/13